



2026:AHC:28158

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5086/2026

श्रीमती ललती देवी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: बिरेंद्र कुमार आर्य

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत याचिका दायर की है :-
(क) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह आदेश दिया जाए कि वह तहसीलदार, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 8387/2019 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी201902030308387 के साथ) — जो कि 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत है (ललती देवी बनाम ननकी देवी) — का निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।
2. आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई, तो विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री विजय शंकर प्रसाद ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि उसी राहत के लिए, याचिकाकर्ता ने रिट सी संख्या 21534/2023 दायर करके इस न्यायालय का रुख किया है।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
4. अभिलेखों की जाँच करने पर यह पता चलता है कि, हालाँकि अवर न्यायालय —जिसके समक्ष यह मामला लंबित है—को इस न्यायालय द्वारा अगस्त, 2023 में ही उक्त मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सोरांव, प्रयागराज द्वारा—जिन कारणों से भी हो, जो उन्हें ही बेहतर पता होंगे—इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
6. हालाँकि यह उसी कारण के लिए दूसरी रिट याचिका है, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पारित आदेश का पालन प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा नहीं किया गया, और ढाई वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है; और वैसे भी, यह प्रावधान है कि यदि 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत कोई आवेदन दायर किया गया है, तो संबंधित प्राधिकारी को उसे कानून के पूर्णतः अनुरूप, एक समय-सीमा के भीतर निस्तारित करना अनिवार्य होगा। 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),
“(7). तहसीलदार, नामान्तरण के निर्विवाद मामलों का निर्णय, मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे, और नामान्तरण के विवादित मामलों का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेंगे; और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।”
7. इस मामले को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सोरांव, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वे 25.02.2026 को इस न्यायालय के समक्ष एक व्यक्तिगत शपथ-पत्र के साथ उपस्थित हों, जिसमें यह स्पष्ट करें कि उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
8. इसे 19.02.2026 को नए मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले पर सुबह 10:00 बजे सुनवाई की जाएगी।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)
9 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"